लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग,कोलकाता शाखा

द्वितीय बहुतलीय कार्यालय भवन, छठा तल, निजाम पैलेस,
ए.जे.सी. बोस रोड 4/234, कोलकाता020 700-
फोन: ,13/12/4111/2289-033फैक्स: 4060-2289-033 ई मेल:-
brsdkolkata@cag.gov.in

कार्यालय आदेश

दिनांक:28.07.2022

का.आ. संख्या-प्रशासन/52

उप निदेशक पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा ने इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की है।

क्र.सं.	कर्मचारियों के नाम	अग्रिम की राशि
1.	श्री रंजन कुमार सरदार, सहायक पर्यवेक्षक.	50,000/-

अग्रिम की स्वीकृति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का विषय है:-

(क) संबंधित सरकारी सेवक जिस तिथि से अग्रिम की निकासी करता है उसके एक महीने के भीतर उसे क्रय एवं भुगतान कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर निकासी की गई अग्रिम की पूरी राशि उस पर एक माह के ब्याज के साथ तत्काल वापस करनी होगी। अग्रिम के आहरण की तिथि से एक माह के भीतर नगद पावती प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अग्रिम राशि की वसूली निम्न विवरण अनुसार दिए गए किश्तों में अग्रिम की निकासी के बाद पहला वेतन और/या छुट्टी वेतन या निर्वाह भत्ता शुरू होने पर की जाएगी।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	किश्त की दर	किश्तों की संख्या
1	श्री रंजन कुमार सरदार, सहायक पर्यवेक्षक.	1000	50

उस पर अर्जित ब्याज की वसूली आगे के किश्तों में पर्सनल कम्प्युटर की खरीद के लिए अग्रिम की पुनर्भुगतान पूरा हो जाने के तुरंत बाद वाले महीने से की जाएगी। अग्रिम की शेष राशि, अगर कोई एवं कहीं लागू हो तो, ब्याज के साथ डीसीआरजी से वसूली की जाएगी।

(ग) ब्याज की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो 14% प्रतिवर्ष है। अगर राशि की वसूली से संबंधित शर्तों सहित मंजूरी की संलग्न शर्तों को सक्षम प्राधिकार की संपुष्टि के लिए पूरी तरह से पूरा कर लेने पर 2.1/2% तक की ब्याज में छुट की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) अगर संबंधित सरकारी सेवक की सामान्य सेवानिवृति के सिवाय किसी कारण से सेवा समाप्त हो जाती है या पूरी अग्रिम भुगतान करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पूरी बकाया राशि सरकार को देय होगी।

(ड) फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें ब्याज के साथ पूरी अग्रिम राशि वापस करने के लिए कहे जाने के अलावा वह उचित अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

अग्रिम का अनुदान समय-समय पर संशोधित **"पर्सनल कम्प्युटर की खरीद के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम के अनुदान को विनियमित करने वाले नियमों के अंतर्गत सामान्य शर्तों"** को पूरा करने का विषय है।

अग्रिम की राशि "शीर्ष 7610 - सरकारी सेवक के लिए ऋण (एचबीए को छोड़कर)" में समायोज्य है।

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

सं.प्रशा./1(5)/खंड-VII/2022-23/ 2812 - 2820

दिनांक: 28.7.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, डी.ए.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002
2) भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी भवन, कोलकाता-700 001
3) निदेशक लेखापरीक्षा (डाक व तार), 7, कोइलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता-700 001
4) श्री रंजन कुमार सरदार, सहायक पर्यवेक्षक
5) श्री रंजन कुमार सरदार, सहायक पर्यवेक्षक की व्यक्तिगत संचिका
6) स्थापना अनुभाग (महा.नि.ले.प. की संस्वीकृति एवं बजट आवंटन की प्रतिलिपि संलग्न)
7) हिन्दी अनुभाग
8) कार्यालय आदेश पुस्तिका
9) सूचना पट्ट
10) अतिरिक्त प्रतिलिपि

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)